

कार्यालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, डुमरी (गिरिडीह)।

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
02.03.2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किया गया है, जिसका अवलोकन किया गया। दाखिल कारणपृच्छा में यह उल्लेख किया गया है कि मौजा खैराटुण्डा, खाता सं. 1, 58 प्लॉट नं. 596, 291, 275, 1038 कुल रकवा: 2.06 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या II पृष्ठ संख्या 72 पर रैयत इमामदली मियां, समन मियां, किटी मियां पिता: सोहबत मियां के नाम से कायम है। उक्त भूमि बिहार सरकार से बन्दोबस्ती द्वारा हासिल है, जिसपर रैयत इमामदली मियां वगैरह दखलकार है। जिसका बन्दोबस्ती केश नं. 30/59-60 है तथा नियमित रूप से लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है। वर्तमान कार्यवाही को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, डुमरी द्वारा संधारित अभिलेख में की गई कार्यवाही एवं संलग्न कागजातों तथा राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबंदीदार द्वारा मौजा खैराटुण्डा, थाना नं. 122, खाता सं. 1, 58 में</p> <p>प्लॉट नं. -- 596 -- रकवा -- 1.32 ए. गैरमजरूआ खास परती कदीम</p> <p>प्लॉट नं. -- 291 -- रकवा -- 0.26 ए. जंगल</p> <p>प्लॉट नं. -- 275 -- रकवा -- 0.24 ए. परती कदीम</p> <p>प्लॉट नं. - 1038 -- रकवा -- 0.24 ए. टोंगरी</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>कुल रकवा --- 2.06 एकड़ भूमि की जमाबंदी पंजी-II के पृष्ठ संख्या 72 पर कायम है एवं रसीद निर्गत किया जा रहा था। जमाबंदीदार रैयतों के द्वारा उपलब्ध कराए गए पंजी-II की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति में इन्द्राज है कि बन्दोबस्ती केश नं. 30/59-60 द्वारा भूमि की जमाबंदी कायम की गई है। परन्तु, अंचल कार्यालय, डुमरी में उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी में वाद संख्या 30/59-60 में अली मोहम्मद मियां का नाम इन्द्राज है जिसका खाता नं. 1, प्लॉट नं. 263/1269, 1273 एवं 192/1276 अंकित है, जिसे कार्यालय सहायक द्वारा सम्पुष्ट किया गया है तथा बन्दोबस्ती पंजी की छाया प्रति अभिलेख में संलग्न है। रिपोर्ट अमीन बावत पैमाइस की छाया प्रति का अवलोकन किया गया, जिसमें मधुकर प्रेस, गिरिडीह इन्द्राज है, जबकि वर्ष 1959-60 में गवर्नमेन्ट प्रेस गया में राजस्व कागजातों की छपाई की जाती थी।</p> <p>अभिलेख में संलग्न प्रतिवेदन एवं दाखिल किए गए कागजातों तथा दाखिल किए गए कारणपृच्छा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कूट अभिलेख तैयार कर बिना किसी सक्षम प्राधिकार के जमाबंदी कायम की गई</p>	

है, जो कि संदेहास्पद है। वर्तमान में भूमि एन.एच.2(जी.टी. रोड) के किनारे अवस्थित है। झारखण्ड सरकार, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक 5/स.भू. विविध-156/2016..6144 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा जारी संकल्प के आलोक में उक्त भूमि का नियमितिकरण एवं बन्दोबस्ती निषेधित है।

अतः उक्त संदेहास्पद जमाबंदी रद्द करने हेतु अभिलेख अनुशंसा के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपर समाहर्ता, गिरिडीह को उपलब्ध कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
डुमरी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
डुमरी।